आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –182/2023

बीरबहादूर राम

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, भृगुराम सिंह प्रतिवादी संख्या 01 और 02 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **01.11.2024**	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0– 49/2018 में दिनांक– 24.04.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पानापुर, सारण द्वारा दिनांक 09.07.2018 को एवं अनुमण्डल स्तरीय गठित टीम के जाँच पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा तथा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमनौर द्वारा दिनांक 08.09.2018 को पुनरीक्षणकर्त्ता के सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता (अनुज्ञप्ति संख्या 41/2016) के दुकान की जाँच की गई एवं जाँचोपरांत निम्नलिखित अनियमितताएँ अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण को प्रतिवेदित की गई :– (i) निरीक्षण के दौरान कार्य अवधि में दुकान बंद पाया गया एवं विक्रेता अनुपस्थित पाये गये। (ii) मूल्य –सह– भंडार प्रदर्शन पट्ट दिनांक 08.07.2018 को संधारित किया गया था जिस पर गेंहूँ 31.80 क्विंटल, चावल 47.70 क्विंटल तथा किरासन तेल 393 लीटर अंकित पाया गया। (iii) माह जून– 2018 के राशन/ किरासन का वितरण नहीं किया गया। (iv) उपभोक्ताओं द्वारा राशन/किरासन की माँग करने पर उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है एवं गाली–गलौज	

Web Copy Not Official

किया जाता है।

(v) योजनावार भंडार पंजी/ वितरण पंजी का संधारण नहीं पाया गया।

(vi) निरीक्षण/ शिकायत पुस्तिका का संधारण नहीं पाया गया।

(vii) कैशमेमो नहीं दिया जाता है एवं उठाव किये गये खाद्यान्न/ किरासन की सूचना निगरानी/ अनुश्रवण समिति एवं जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जाती है।

(viii) जाँच के क्रम में उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया कि उन्हें माह जून एवं जुलाई तक ही राशन प्राप्त है एवं वजन कम दिया जाता है तथा निर्धारित दर से अधिक राशि लिया एवं अधिक मूल्य लिया जाता है। साथ ही किरासन तेल कम मात्रा में दिया जाता है एवं अधिक मूल्य लिया जाता है।

उक्त अनियमितता के कारण पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण द्वारा ज्ञापांक 1082 दिनांक 11.07.2018 एवं ज्ञापांक 1584 दिनांक 12.09.2018 से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 26.09.2018 को समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 41/ 2016 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा के न्यायालय में वाद सं0–49/ 2018 दायर किया गया। जिला दंडाधिकारी, सारण द्वारा दिनांक 24.04.2023 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। जिला दंडाधिकारी, सारण के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार :–

''पुनरीक्षणकर्त्ता एक गरीब एवं विकलांग व्यक्ति हैं तथा जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाकर अपने और अपने परिवार की परवरिस करते हैं। पुनरीक्षणकर्त्ता के विरूद्ध किसी उपभोक्ता या उनके पंचायत के किसी सदस्य ने कोई शिकायत नहीं किया है। दिनांक 09.07.2018 को उनकी तबीयत खराब हो गयी थी जिसके कारण वे डॉक्टर को दिखाने चले गये थे इसलिए उनका दुकान बंद पाया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा राशन/ किरासन का वितरण सही मूल्य

Web Copy Not Official

पर एवं सही वजन में किया जाता है। इसलिए उनके विरूद्ध किसी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया है। माह जून एवं जुलाई में राशन वितरण किया गया है। निर्धारित मूल्य से अधिक रूपया लेने की बात गलत है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा गठित जाँच टीम ने दिनांक 08.09.2018 को विक्रेता की दुकान का जाँच किये जिसमें भंडार पंजी एवं वितरण पंजी में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई, जिसका उल्लेख अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने समर्पित स्पष्टीकरण में किये थे। यहाँ तक कि जिनके नाम से आरोप लगाया गया था उन व्यक्तियों द्वारा भी शपथ–पत्र के साथ इस आरोप को इन्कार किया गया है। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना विचार किये अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द किये जाने योग्य है।''

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार विक्रेता बिना सूचना के अनुपस्थित थे। विक्रेता द्वारा पंजी संधारित नहीं की गई थी एवं उपभोक्ताओं को कैशमेमो नहीं दिया जाता था। इस प्रकार विक्रेता द्वारा ''बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016'' के मार्गदर्शिका के विपरीत आचरण किया गया है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना उचित है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पानापुर, सारण द्वारा एवं अनुमण्डल स्तरीय गठित जाँच टीम के जाँच पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा तथा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमनौर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या 41/2016 के दुकान की जाँच की गई। जाँच के पश्चात् अनियमितताओं के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण को प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में वर्णित अनियमितताओं के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के आलोंक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी, सारण के न्यायालय में अपील वाद सं0– 49/2018 दायर किया गया। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को विधिवत् सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक

Web Copy Not Official

24.04.2023 को मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/ वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता पर कार्य अवधि में दुकान बंद रखने, राशन/ किरासन का ससमय वितरण नहीं करने, उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने, योजनावार भंडार पंजी एवं वितरण पंजी का संधारण नहीं करने, निरीक्षण/ शिकायत पुस्तिका का संधारण नहीं करने, कैशमेमो नहीं दिये जाने, उठाव किये गये खाद्यान्न/ किरासन की सूचना निगरानी/ अनुश्रवण समिति एवं जनप्रतिनिधियों को नहीं दिये जाने, राशन/ किरासन निर्धारित मात्रा से कम वजन दिये जाने, अधिक राशि लिये जाने का प्रमाणित आरोप है।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(i), (iv), (vi), (ix), (x) एवं (xii) में अंकित है किः–

(i) ''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।''

(iv) ''अनुज्ञप्तिधारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विहित्त खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारक को उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों का विक्रय करेगा। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के पश्चात प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमेमो (अनुसूची 05 के अनुसार) देगा। जिसमें उपभोक्ता के नाम, पता लिखकर उसका हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान लेगा। कैशमेमो की कार्बन प्रति (द्वितीय प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या और पता भी मुद्रित रहेगा।''

(vi) ''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड के धारकों के अभिलेखों अर्थात स्टॉक रजिस्टर, निर्गमन या विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत विहित् फॉर्मेट में करेगा, जिसमें अनुक्रमिक रीति में इलेक्ट्रानिकी फॉर्मेट भी रहेगा।''

(ix) ''अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मास के अंत में उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण तथा शेष स्टॉक के लेखों का प्रतिवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को स्थानीय मुखिया या नगर निकाय के प्रमुख, जैसा मामला हो, तथा स्थानीय सतर्कता समिति के किसी एक

Web Copy Not Official

सदस्य के सत्यापन के साथ समर्पित करेगा, और उसकी एक प्रति पंचायत या नगर निकाय को भेजेगा।''

(x) ''अनुज्ञप्तिधारी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित विनिर्दिष्ट समय के अनुसार उचित मूल्य की दुकान को खोलेगा और बंद करेगा।''

(xii)''अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूची– 09 में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान के कारोबार में सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते हैं।''

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि दुकान बंद होने का कारण है कि वे बीमार थे जबकि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14 (xii) के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकान के सुगम संचालन हेतु अपना प्रतिनिधि रखने की अनुमति देता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया कृत्य बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14(i), (iv), (vi), (ix), (x) एवं (xii) में वर्णित शर्त्तो के प्रतिकूल है। साथ ही पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विखंडन किया जा सके।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है। तद्नुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को **अस्वीकृत** किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

Web Copy Not Official